

No.L-12018/6/2009-GP-II
Government of India
Ministry of Petroleum & Natural Gas

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated the 20th October, 2012

To,


The Manager,
Govt. of India Press,
Ring Road, Maya Puri,
New Delhi-110064.

Subject: Publication of Notification in the Extra Ordinary Gazette of India for notifying the rules for "Eligibility conditions for registration of LNG Terminals" in exercise of the powers conferred upon the Government, under sub-section (1) of Section 15 read with clause (e) of sub-section (2) of Section 60 of the PNGRB Act, 2006.

Sir,

I am directed to forward herewith a Notification (both in Hindi and English) on the above subject for publication in the Extra Ordinary Gazette of India. The S.O. number of the Notification may please be provided to the authorised representative of Ministry.

Yours faithfully,



(Dr. Neeraj Mittal)

Joint Secretary to the Govt. of India

Encl: as above

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (iii)]

Government of India
Ministry of Petroleum and Natural Gas

Notification

New Delhi, the October 31, 2012

G.S.R.(E).- Whereas the growing energy needs and demand for natural gas green fuel in the country necessitates the expansion of liquefied natural gas terminals in view of the limited domestic gas productions;

And whereas to protect consumer interests, **liquefied natural gas terminals** must be subject to commercial transparency and committed to provide additional capacity to any consumer who desires to import gas into the country at publicised tariffs;

And whereas there is a need to ensure a balance between freedoms to operate such **liquefied natural gas terminals**, and equitable access and transparency in their operations in larger public interest, so as to foster higher availability of **liquefied natural gas** in the country;

And whereas clause (a) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006) mandates to protect the interest of the consumers by fostering fair trade and competition among the entities desirous of establishing or operating the **liquefied natural gas terminals**;

And whereas sub-section (1) of section 15 of the said Act envisages that the entities, desirous of establishing or operating **liquefied natural gas terminals**, need to fulfill the eligibility conditions before making an application to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board for their registration under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 read with clause (c) of sub-section (2) of section 60 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, application and commencement :- (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Eligibility Conditions for Registration of Liquefied Natural Gas Terminal) Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions . - In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
- (b) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board defined in clause (f) of section 2 and established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (c) all other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings, respectively, assigned to them in the Act.

3. Eligibility conditions for registration.- (1) Any entity desirous of establishing or operating a liquefied natural gas terminal after the date of establishment of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

under sub-section (1) of section 3 of the Act, shall be eligible to make an application for registration to the Board, only on fulfillment of the following conditions, namely:-

- (a) offer at all times, after registration, 20 per cent of its short term (less than 5 year contract) uncommitted re-gasification capacity or 0.5 Million Metric Tonnes Per Annum (MMTPA), whichever is higher, as common carrier capacity;
- (b) adhere to the technical standards and specifications including safety standards in activities relating to petroleum, petroleum products and natural gas, as prescribed by the Board by regulations, which are in force, including those prescribed by the Oil Industry Safety Directorate;
- (c) furnish a bank guarantee to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board for an amount equal to 1 per cent of the estimated project cost of the **liquefied natural gas terminal** or Rs. 25 crore, whichever is less.

[No.L-12018/6/2009-GP-II]

(Arunoday Goswami)
Under Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (iii) में
प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 30 अक्टूबर, 2012

सा.का.नि (अ).- देश में और ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकता तथा प्राकृतिक गैस पर्यावरणीय अनुकूल ईंधन की मांग सीमित घरेलू गैस उत्पादन के कारण तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनलों के विस्तार को आवश्यक बनाती है ;

और उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों को अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक पारदर्शिता के अधीन और किसी उपभोक्ता जो देश में प्रचारित टैरिफ पर गैस आयात करने की वांछा रखता है, को अतिरिक्त सक्षमता का प्रतिबंध करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए ;

और ऐसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों का प्रचालन करने की स्वतंत्रता तथा बृहत्तर लोकहित में उनके प्रचालन में साम्य पहुंच तथा पारदर्शिता के बीच संतुलन का सुनिश्चय करने की आवश्यकता है जिससे देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की उपलब्धता का पोषण किया जा सके ;

और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 का खंड (क) तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना या प्रचालन की वांछा रखने वाले निकायों के बीच न्यायोचित व्यापार और प्रतिस्पर्धा के पोषण के माध्यम से उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करने का आदेश देता है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) यह परिकल्पना करती है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना या प्रचालन

करने की वांछ रखने वाले निकायों को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को उक्त अधिनियम के अधीन उनके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पूर्व, पात्रता शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल के रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता शर्तें) नियम, 2012 है ।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों के जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 2 के खंड (ब) में परिभाषित और धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) सभी अन्य शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्रता शर्तें - (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की स्थापना की तारीख के पश्चात् किसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना या प्रचालन की वांछ रखने वाला कोई निकाय रजिस्ट्रीकरण के लिए बोर्ड को आवेदन करने के लिए केवल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही पात्र होगा, अर्थात् :-

(क) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सभी समय अपनी अप्रतिबद्ध पुनः गैसीकरण क्षमता (पांच वर्ष से कम संविदा) का बीस प्रतिशत या

प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मिट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए), इनमें से जो भी उच्चतर हो, का सामान्य वाहन क्षमता के रूप में प्रस्ताव ;

(ख) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस जैसा कि बोर्ड द्वारा प्रवृत्त विनियमों द्वारा विहित किया गया है जिसके अंतर्गत वे विनियम भी हैं जो तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा विहित किए गए हैं, से संबंधित सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों का पालन ;

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को, तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल की प्राक्कलित परियोजना लागत के एक प्रतिशत के बराबर या पच्चीस करोड़, जो भी कम हो, रकम की बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करना ।

[फा.सं.एल-12018/6/2009-जीपी-II]

(अरूणोदय गोरवामी)

अवर सचिव, भारत सरकार



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 444]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2006/भाद्र 27, 1928

No. 444]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2006/BHADRA 27, 1928

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 570(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) “अध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) “सदस्य” से अधिनियम की धारा 4 के अधीन नियुक्त बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

3. वेतन और भत्ते - (क) अध्यक्ष 26,000 रुपए (निश्चित) के मासिक वेतन का हकदार होगा।

(ख) सदस्य 22,400-525-24,500 रुपए के वेतनमान में मासिक वेतन का हकदार होगा।

(ग) अध्यक्ष और सदस्य समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह ‘क’ के अधिकारी को लागू दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे ;

परंतु ऐसे व्यक्ति की जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हो गया है और जो पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अक्षदान के रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के

सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर लिए हैं अथवा प्राप्त करने का हकदार हो गया है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन में से उसे प्राप्त हो रही या प्राप्त होने वाली पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदों को, यदि कोई हो (उपदान के बराबर पेंशन को छोड़कर) की सकल रकम को घटा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि ऐसे किसी व्यक्ति को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों और/या स्वशासी निकायों के अधीन सेवा सहित किसी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को लागू दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा किन्तु वह उस अवधि के दौरान जिसमें वह अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करता है, पेंशन पर महंगाई सहित प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

4. छुट्टी - अध्यक्ष और सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे। छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा। अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय अपनी जमा अर्जित छुट्टियों के पचास प्रतिशत को भुनाने का हकदार होगा।

5. साधारण भविष्य निधि या अभिदायी भविष्य निधि, पेंशन और उपदान - अध्यक्ष और सदस्य अभिदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होंगे और साधारण भविष्य निधि नियमों के अधीन अंशदान करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अतिरिक्त पेंशन और उपदान विनियामक प्राधिकरण में की गई सेवाओं के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा।

6. छुट्टी यात्रा रिवाजत, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता - अध्यक्ष और सदस्य दौरे के समय वह मूल वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को लागू यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के हकदार होंगे और वे मुख्यालय से बाहर, जहां लागू हो, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन यात्री निवासों या निरीक्षण बंगलो में उस श्रेणी के अस्थायी सरकारी आवास की सुविधा का सामान्य किराए का संदाय करने पर हकदार होंगे जिनके समान वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी पात्र हैं।

7. चिकित्सा उपचार - अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा स्कीम में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल की सुविधाओं के और उन स्थानों पर हकदार होंगे जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में नहीं है तथा अध्यक्ष और सदस्य जो सरकारी सेवक नहीं हैं, केन्द्रीय सेवा, (चिकित्सा परिचर्या) नियमों में यथाउपबंधित सुविधाओं के हकदार होंगे।

8. विदेशों में सरकारी दौरे - अध्यक्ष और सदस्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के भारसाधक मंत्री के पूर्व अनुमोदन से और विदेश विभाग से राजनैतिक अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् विदेश में सरकारी दौरे करने के हकदार होंगे। विदेश में दौरे की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता और होटल आवास की व्यवस्था भारत सरकार में समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समय-समय पर लागू सरकारी अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगी तथा विदेश में भारतीय मिशन उनकी व्यवस्था करेंगे तथा समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को लागू सुविधाएं प्रदान करेंगे।

9. परिवहन भत्ता - अध्यक्ष और सदस्य निवास और कार्यालय के बीच परिवहन के लिए अपनी निजी कार के उपयोग और रख-रखाव के लिए समय-समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिकथित तीन हजार रुपए और पांच हजार रुपए प्रति मास के बीच परिवहन भत्ते की निश्चित प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे और इसके अंतर्गत चालक का वेतन भी सम्मिलित होगा जो सरकार कर्मचारी नहीं होगा।

10. आवास - अध्यक्ष और सदस्य को यह विकल्प दिया जाएगा कि यदि वे दिल्ली में रहते हैं तो वे मूल वेतन के तीस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता का दावा कर सकते हैं किन्तु बोर्ड द्वारा कोई भी मकान किराए पर नहीं लिया जाएगा या सरकार द्वारा आवंटित नहीं किया जाएगा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के आसपास सैटेलाइट नगर की दशा में अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष की दशा में तीन सौ पचास वर्गमीटर के कक्ष निर्मित क्षेत्र के साथ और सदस्य की दशा में तीन सौ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के साथ किराए का असुसज्जित आवास के हकदार होंगे जिसके साथ उपयुक्त खुली जगह भी संलग्न होगी जो संबद्ध नगरपालिका निकायों के विनियमों के अधीन अनुज्ञेय हो।

11. पद और गोपनीयता की शपथ - अध्यक्ष और सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और प्रतिज्ञान करेंगे।

227

12. टेलीफोन सुविधा, सरकारी बैठकें और मनोरंजन व्यय - अध्यक्ष और सदस्य उन टेलीफोन सुविधाओं, सरकारी बैठकों और मनोरंजन व्ययों के भी पात्र होंगे जो समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को अनुज्ञेय हैं।

13. अवशिष्ट विषय - अध्यक्ष या सदस्य की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे होंगे जो समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं।

14. शिथिल करने की शक्ति - केन्द्रीय सरकार को अध्यक्ष या किसी सदस्य की बाबत इन नियमों में किसी उपबंध को, उसके लिए जो कारण हों उनको लेखबद्ध करने के पश्चात्, शिथिल करने की शक्ति होगी।

15. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसपर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

प्रारूप - 1

(नियम 13 देखिए)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पद की शपथ का प्रारूप

मैं,, अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञान करता हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा।

(अध्यक्ष या सदस्य का नाम)

तारीख :

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

प्रारूप - 2

(नियम 13 देखिए)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्यों के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप

मैं,, अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठ से प्रतिज्ञान करता हूँ और ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उक्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अध्यक्ष या सदस्य (जो भाग लागू न हो उसे काट दें) के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।

(अध्यक्ष या सदस्य का नाम)

तारीख :

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006

G.S.R. 570(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 5 read with clause (a) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context other wise requires, -

(a) "Act", means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "Board", means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(c) "Chairperson", means the Chairperson of the Board appointed under Section 4 of the Act;

(d) "Member", means a whole-time Member of the Board appointed under Section 4 of the Act;

(e) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. **Salaries and allowances.** -

(a) The Chairperson shall be entitled to a monthly salary of Rs.26,000 (fixed).

(b) The Member shall be entitled to a monthly salary in the pay scale of Rs.22,400-525-24,500.

(c) The Chairperson and a Member shall be entitled to draw dearness allowance and city compensatory allowance at the rate applicable to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay:

Provided that in case of appointment of a person as the Chairperson or a Member who has retired from the service under Central Government or State Government and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson or Member, shall be reduced by the gross amount of pension or employers contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of gratuity), drawn or to be drawn by him:

Provided further that if a person who has retired from any service including service under Central Government or State Government, Public Sector Undertakings and/or Autonomous Bodies is appointed as the Chairperson or a Member, he shall be entitled to receive dearness allowance at the same rate as applicable to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay, but he shall not be entitled to receive dearness relief on pension during the period he holds office as such Chairperson or a Member.

4. Leave. - The Chairperson and a Member shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service. The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972. The Chairperson and a Member shall be entitled to encashment of fifty percent of earned leave to his credit at any time.

5. GPF or CPF, Pension and Gratuity. - The Chairperson and Members would be governed by contributory Provident Fund Rules and no option to subscribe under GPF Rules will be available. Additional Pension and Gratuity will not be admissible for service rendered in the Regulatory Authority.

6. Leave Travel Concession, Travelling Allowance and Daily Allowance. - The Chairperson and a Member shall be entitled to travelling allowance and Daily allowance on tour as applicable to Government Servants drawing that basic pay and they shall also be entitled to facility of temporary Government accommodation in Guest Houses or Inspection Bungalows under the control of the Central Government, wherever applicable, on payment of normal rent at out-stations, of the class to which Government Servants of equivalent pay are eligible.

7. Medical Treatment. - The Chairperson and a Member shall be entitled to Medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central Government Health Service Scheme for retired Government servants and at places where the CGHS Scheme is not in operation, the Chairperson and Members who are not Government servants shall be entitled to the facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules.

8. Official Visits Abroad. - The Chairperson and a Member shall be entitled to undertake official visits abroad with the prior approval of the Minister-in-charge of the Ministry of Petroleum and Natural Gas and after political clearance from the Ministry of External Affairs. The daily allowance and the provision for hotel accommodation during the period of tour abroad shall be regulated in accordance with the Government instructions as applicable from time to time to officers of equivalent pay in the Government of India and Indian Missions abroad shall take care of arrangements and extend facilities as applicable to Group "A" officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

9. Transport allowance. - The Chairperson and a Member shall be eligible for fixed reimbursement of transport allowance between Rs.3,000/- and Rs.5,000/- per month as laid down by the Department of Personnel and Training from time to time for the use and maintenance of his personal car for transportation between residence and office and it shall include the salary of a driver who would not be a Government servant.

10. Accommodation. - The Chairperson and a Member shall be given the option of claiming House Rent Allowance @ 30% of the basic pay drawn if they stay at Delhi but no house shall be hired by the Board or allotted by the Government and in case of a satellite town surrounding the National Capital Territory of Delhi, the Chairperson and a Member shall be entitled to rented unfurnished accommodation with built-up area measuring around 350 square meters for Chairperson and 300 square meters for a Member with suitable open land area appurtenant as permissible under the regulations of the concerned municipal bodies.

11. Oath of Officer and Secrecy. - The Chairperson and Members shall, before entering upon their office, make and subscribe an Oath of Office and Secrecy, in the forms I and II annexed to these rules.

12. Telephone facility, official meetings and entertainment expenses. - The Chairperson and a Member shall be eligible for telephone facilities, official meetings and entertainment expenses as admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

13. Residuary matters. - Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or a Member with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

14. Power to relax. - The Central Government shall have power to relax, after recording in writing the reasons thereof, any provision of these rules in respect of Chairperson or any Member.

15. Interpretation. - If any question arises relating to the interpretation of these rules, the decision of the Central Government there-upon shall be final.

[F.No. P-23011/1/06-Mkt.]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

FORM - 1
(see rule 13)

Form of Oath of Office for the Chairperson and Members of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

I, _____, having been appointed as the Chairperson or Member (*cross out portion not applicable*) solemnly affirm and do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Chairperson or Member (*cross out portion not applicable*), of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will.

Dated:

(Name of the Chairperson or Member)
PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

FORM - II

(see rule 13)

Form of Oath of Secrecy for the Chairperson or Members of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

I, _____, having been appointed as the Chairperson or Member (*cross out portion not applicable*) do solemnly affirm and swear in the name of God that I will directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chairperson or Member (*cross out portion not applicable*), of the said Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, except as may be required for the due discharge of my duties as the Chairperson or Member (*cross out portion not applicable*).

Dated:

(Name of the Chairperson/Member)

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 571(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सचिव का वेतन, भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(घ) “सचिव” से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;

(ङ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है ।

3. सचिव का वेतनमान - सचिव 18,400-500-22,400 रुपए के वेतनमान में मासिक वेतन का हकदार होगा ।

4. सेवा-शर्तें - (1) वेतन, भत्तों, छुट्टी पदभार ग्रहण का समय, सेवा में सम्मिलित होने के समय वेतन, अघिवर्षिता की आयु के विषय में सचिव की सेवा की शर्तें और अन्य सेवा की शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी जो समय-समय पर समूह ‘क’ के केन्द्रीय सरकार के और तत्समान वेतनमान लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं :

परंतु -

(क) ऐसा सचिव जो बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारी है और जिसे साधारण मूल के अधीन आवास आवंटित किया गया है, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/डी/7/94-पोल. IV/I तारीख 26.4.1999 जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के निबंधनों के अनुसार सरकारी आवास की सुविधा धारित करते रहने का पात्र होगा ; और यदि सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ है या उसने नहीं लिया है तो केन्द्रीय सरकार के समान वेतन पाने वाले सेवक के बराबर मकान किराया भत्ता का पात्र होगा । सेवा सचिव जो सरकार से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त नहीं है, उतने मकान किराया भत्ते का हकदार होगा जितना समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के सेवक को मिलता है ।

(ख) सचिव अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा ।

(ग) (i) यदि सचिव सरकार से प्रतिनियुक्ति पर नहीं है तो वह अभिदायी भविष्यनिधि में अंशदान करने का हकदार होगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड के लिए बनाए गए अभिदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परंतु ऐसा सचिव पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा ;

(ii) यदि सचिव प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तो वह उस भविष्य निधि स्कीम द्वारा शासित होता रहेगा जो उसके मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन में उसे लागू होती है और बोर्ड अधिकारी से भविष्य निधि भदे अभिदाय वसूल करेगा और उसे उधार देने वाले मंत्रालय/विभाग/संगठन को तत्काल प्रतिप्रेषित करेगा । विलंब से किए गए प्रतिप्रेषण के कारण ब्याज की किसी हानि को बोर्ड वहन करेगा ।

(घ) सचिव, जब वह सरकारी विदेशी दौरे पर हो, अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट भत्तों का हकदार होगा ।

(ब) यदि सचिव प्रतिनियुक्ति पर नहीं है तो यह उपदान अधिनियम, 1976 के अनुसार उपदान संदाय के लिए पात्र होगा।

(च) यदि सचिव प्रतिनियुक्ति पर नहीं है तो वह बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विरचित की जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमा फायदे का हकदार होगा।

(छ) केन्द्रीय सरकार से मिल्न संगठन से प्रतिनियुक्ति पर सचिव उस पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों के लिए, यदि कोई हों, पात्र होगा जो उसके मूल संगठन में उसे प्राप्त होते :

परंतु यदि सचिव प्रतिनियुक्ति पर है तो वह पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा।

अनुसूची - 1

[नियम 4(ख) देखिए]

चिकित्सा सुविधाएं

1. बाह्य द्वार चिकित्सा व्यय - (i) सचिव स्वयं के लिए और परिवार के चोखित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति पाने का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए "परिवार" पद का वही अर्थ है जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में उसका है।

(ii) बाह्य द्वार चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्ययों या उस वर्ष की 1 जनवरी को एक मास के वेतन तक (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) इनमें से जो भी कम हो, सीमित होगी। दावे के समर्थन में और डॉक्टर द्वारा उपचार के लिए डॉक्टर का नुसखा और मूल कैसमेनो/बिल तथा दवाईयों के क्रय का सबूत होना चाहिए। वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि या प्रोन्नति की घोषणा से वर्ष की पहली जनवरी को सीमा प्रभावित नहीं होगी। यदि सचिव वर्ष के दौरान बोर्ड में पदभार ग्रहण करता है तो वार्षिक हकदारी अनुपातिक आधार पर निर्बंधित होगी।

(iii) बाह्य द्वार उपचार बोर्ड द्वारा बनाए गए पैनेल से प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक से लेना होगा।

2. अंतरंग उपचार -

(i) अंतरंग उपचार के प्रयोजन के लिए सचिव बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए हकदार होगा और इस प्रयोजन के लिए उपचार की लागत जिसके अंतर्गत अस्पताल आवास, नर्सिंग होम सुविधा आदि भी हैं, समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी।

(ii) उपरोक्त (i) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अस्पताल वे होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

(iii) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार आपात की स्थिति को छोड़कर प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सलाह पर लिया जाएगा।

अनुसूची 2

[नियम 4(घ) देखिए]

विदेशी दौरों की बाबत यात्रा भत्ता

1. विदेश में सचिव की प्रतिनियुक्ति - सचिव की विदेश में प्रतिनियुक्ति का विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

2. वायुयान द्वारा यात्रा के लिए हकदारी - सचिव विदेश में वायुयान द्वारा यात्रा करने का हकदार होगा और उसे समान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त होंगे।

3. प्रति दिन रुकने का भत्ता - जब विदेशी दौरे पर हो तब सचिव प्रतिदिन 350 अमरीकन डालर की दर पर प्रतिदिन का भत्ता लेने का हकदार होगा किन्तु नेपाल की यात्रा के लिए दर प्रतिदिन 250 अमरीकन डालर की दर पर होगा (जो भारतीय करेंसी में संदाय किया जाएगा) :

परतु -

(क) प्रस्तावित प्रतिदिन का भत्ता वास्तविक व्यय की सीमा तक एक समेकित रकम होगी जो ऐसी वाउचरों को पेश करने पर संदत्त किया जाएगा जिनमें कमरे का किराया, टैक्सी प्रभार, मनोरंजन यदि कोई हो, सरकारी टेलीफोन कॉल, सामान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर उपलब्ध दर पर दैनिक भत्ते और अन्य आकस्मिक व्यय दर्शित किए गए हों।

(ख) यदि मेजबान संगठन या सरकारी अधिकरणों या भारतीय मिशनों द्वारा पूरा आतिथ्य (अर्थात् आवास और भोजन) प्रदान किया जाता है तो आनुषंगिक व्यय रूकने की पूरी अवधि के लिए 100 अमरीकन डालर प्रतिदिन के हिसाब से होंगे। नेपाल की दशा में आनुषंगिक व्यय 50 अमरीकन डालर प्रतिदिन के हिसाब से होंगे। ऐसी दशा में आर्थिक कटौती, यदि कोई है, जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू है, वधास्थिति, 100 अमरीकन डालर या 50 अमरीकन डालर की दर पर लागू होगी।

(ग) यदि निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो सामान्य दर पर प्रतिदिन के 50% की दर पर नकद भत्ता लागू होगा।

(घ) सात क्रमवर्ती दिनों से परे ठहरने की दशा में आठ से अट्ठाइसवें दिन के लिए प्रतिदिन भत्ता 250 अमरीकन डालर होगा और अट्ठाइस दिन से परे ठहरने के लिए प्रतिदिन भत्ते की दर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामले के आधार पर विनिश्चित की जाएगी।

(ङ) यदि भोजन और परिवहन व्यवस्थाएं विदेश में संबद्ध भारतीय मिशन के माध्यम से की जाती हैं तो सामान वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर उपलब्ध दर से केवल दैनिक भत्ता और अन्य आकस्मिक व्यय अनुज्ञेय होंगे।

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006

G.S.R. 571(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 10 read with clause (c) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Salary, Allowances and other Conditions of Service of Secretary) Rules, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** --- In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
 - (b) "Board" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
 - (c) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules;

(d) "Secretary" means the Secretary of the Board;

(e) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Pay scale of secretary.— The secretary shall be entitled to a monthly salary in the pay scale of Rs.18,400-500-22,400.

4. Conditions of service.— (1) The conditions of service of the secretary in the matter of pay, allowances, leave, joining time, joining time pay, age of superannuation and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are, from time to time, applicable to officers and employees of the Central Government belonging to Group 'A' and drawing the corresponding scale of pay:

Provided that —

(a) the secretary who is a Government employee on deputation to the Board and has been allotted residential accommodation under General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation in terms of Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Directorate of Estates, OM No. 11013/D/7/94-Pol. IV/I, dated 26.4.1999, and as amended from time to time; and in case Government residential accommodation has not been allotted or availed, he shall be eligible for House Rent Allowance at par with Central Government servant drawing equivalent pay. The secretary who is not appointed on deputation from the Government shall be entitled to House Rent Allowance at par with those applicable to Central Government servant drawing equivalent pay.

(b) the secretary shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule-I.

(c) (i) in case the secretary is not on deputation from the Government, he shall be entitled to subscribe to Contributory Provident Fund and shall be regulated by the Contributory Provident Fund Rules made by the Central Government for the Board :

Provided that such secretary shall not be entitled to get pension;

- (ii) in case the secretary is appointed on deputation, he shall continue to be governed by Provident Fund Scheme as is applicable to him in his parent Ministry/Department/organisation and the Board shall recover contribution towards provident fund from the officer and remit the amount immediately to the lending Ministry/Department/organisation. Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Board.
- (d) the secretary while on official foreign tours, shall be entitled to allowances as specified in Schedule-II.
- (e) in case the secretary is not on deputation, he shall be eligible for payment of gratuity as per the Gratuity Act, 1976.
- (f) in case the secretary is not on deputation, he shall be entitled to Group Insurance benefit as per the scheme to be formulated by the Board in consultation with the Central Government.
- (g) the secretary on deputation from organization other than the Central Government shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to him in his parent organisation:

Provided that in case the secretary is not on deputation, he shall not be eligible for pension.

Schedule - I

[See rule 4(b)]

MEDICAL FACILITIES

- 1 Outdoor Medical expenses- (i) The Secretary shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation - For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

- (ii) The reimbursement of outdoor medical expenses shall be limited to the actual expenses or one month's pay on 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less. The claim should be supported by Doctor's prescription and the original cash memos/bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines. Release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January of the year. In case secretary joins the Board during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

- (iii) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Board.

2 Indoor treatment-

- (i) For the purpose of indoor treatment the secretary shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Board in this behalf, and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.
- (ii) The authorised hospitals for the purpose of (i) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rule 1944.
- (iii) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical attendants except in emergency.

Schedule - II
[See rule 4(d)]

Traveling Allowance in respect of foreign tours

- (1) Deputation of secretary abroad.- Deputation of the secretary abroad shall be decided by the Chairperson.
- (2) Entitlement for travel by Air.- The secretary shall be entitled to travel abroad by Air at par with facilities available from time to time to Central Government employees drawing equivalent pay.
- (3) Per diem halting allowance.- While on foreign tour, the secretary shall be entitled to draw per diem allowances at the rate of US \$ 350 per day. But, for travel to Nepal, the rate shall be US \$ 250 per day (to be paid in Indian currency).

Provided that -

- (a) the proposed per diem would be a consolidated amount limited to actual subject to production of vouchers covering room rent, taxi charges, entertainment if any, official telephone calls, daily allowance at the rate available from time to time to Central Government employees drawing equivalent pay and other contingent expenditure.

(b) if full hospitality (i.e. lodging and boarding) is provided by the host organization or official agencies, Indian Missions, the incidental expenses would be US \$ 100 per-diem for the entire period of stay. In case of Nepal, the same would be US \$ 50 per diem. In such a case, economy cut if any, as applicable to the Central Government officers shall also apply at the rate of US \$ 100 or US \$ 50, as the case may be.

(c) in case only free lodging is provided, cash allowance at the rate of 50% of the per-diem at normal rate would be applicable.

(d) in case of stay beyond seven consecutive days, the per diem from the 8th to 28th days shall be US \$ 250 and the rate of per diem for stay beyond twenty eight days consecutively shall be decided on case to case basis keeping in view the facilities provided.

(e) in case the lodging and transport arrangements are made through the concerned Indian Mission abroad, only daily allowance at the rate available from time to time to Central Government employees drawing equivalent pay and other contingent expenditure shall be admissible.

[F.No. P-23011/1/06-Mkt.]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 572(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का-49) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) “परिशिष्ट” से इन नियमों से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत है ;

(ग) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

3. विवरणियां, व्योरे और वार्षिक रिपोर्ट देने का प्रारूप, रीति और समय -

(1) बोर्ड एक वार्षिक रिपोर्ट परिशिष्ट में विहित प्रारूप में और रीति से तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को देगा जिसमें उसके क्रियाकलापों का सही और पूरा व्योरा दिया जाएगा जिनके अंतर्गत पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान की कार्यवाहियां और नीतियां थी हैं।

(2) बोर्ड द्वारा उक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा हो जाने के पश्चात् नौ मास के भीतर बोर्ड की बैठक में अंगीकार कर लिए जाने के पश्चात् दी जाएगी और उसपर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा बोर्ड की सामान्य मुद्रा लगाकर उसे अधिप्रमाणित किया जाएगा।

परिशिष्ट

[नियम 3 देखिए]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गढ़ें भी होंगी :-

भाग 1

साधारण

- (क) साधारण आर्थिक पर्यावरण का पुनर्विलोकन ;
- (ख) भूमंडलीय तेल और गैस का परिदृश्य ;
- (ग) घरेलू तेल और गैस का परिदृश्य ;
- (घ) सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस विनियामक पद्धतियाँ और भारतीय संदर्भ में उनका अंगीकरण ।

भाग 2

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के निम्नलिखित क्रियाकलापों के संबंध में कार्यकरण और प्रचालन का पुनर्विलोकन :-

- (i) इकाइयों का रजिस्ट्रीकरण और प्राधिकरण ;
- (ii) इकाइयों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतियोगिता विकसित करके उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण ;
- (iii) देश के सभी भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के अनिविघ्न और पर्याप्त प्रदाय की मानीटरी ;
- (iv) सामान्य वाहक या ठेका वाहक के रूप में पाइप लाइनों की घोषणा, उनको बिछाना, सन्निर्माण करना और उनका प्रचालन करना या विस्तारण करना ;
- (v) नगर-गैस वितरण नेटवर्क की घोषणा, उनको बिछाना, सन्निर्माण करना और उनका प्रचालन करना या विस्तारण करना ;
- (vi) सामान्य वाहकों और ठेका वाहकों के लिए परस्विहन की दरों का विनियमन ;
- (vii) अधिसूचित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की बाबत कीमतों और परिवहन दरों तथा इकाइयों द्वारा निर्बंधित व्यापार पद्धति का निवारण करने हेतु लिए गए सुवासत्मक उपायों की मानीटरी ;
- (viii) खुदरा दुकानों के लिए सुव्यवस्था बाध्यताओं और इकाइयों के लिए विपणन सेवा बाध्यताओं को परिवर्तित करना ;
- (ix) पाइप लाइनों के सन्निर्माण और प्रचालन में सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश तथा डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सेक्टर से संबंधित अवसंरचनात्मक परियोजनाएं ;
- (x) महत्वपूर्ण विवाद समाधानों, निदेशों/आदेशों, अपीलों और न्यायालयों आदेशों की सूची ;
- (xi) बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों और कृत्यों की सूची ;
- (xii) वर्ष के दौरान विरचित हुए विनियम, यदि कोई हों ।

भाग 3

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के वार्षिक लेखाओं का ब्यौरा

भाग 4

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के संगठनात्मक मामले

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी भाग (3)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 41 read with clause (h) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Annual Report) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;
 - (b) "Appendix" means an Appendix annexed to these rules;
 - (c) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.
3. **Form, manner and the time of furnishing of returns, statements and Annual Report.** -
 - (1) The Board shall prepare and furnish to the Central Government an annual report giving a true and full account of its activities including proceedings and policies during the previous financial year in the form and manner prescribed in the Appendix.
 - (2) The Annual Report of the previous financial year referred to in sub-rule (1) above shall be submitted by the Board to the Central Government after adoption at a meeting of the Board and being signed by the members and authenticated by affixing the common seal of the Board within nine months after the close of each financial year.

APPENDIX
[see rule 3]

Form of Annual Report of The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board comprising inter-alia of following items:-

Part I**General**

- (a) Review of General Economic Environment ;
- (b) Global Oil and Gas Scenario ;
- (c) Domestic Oil and Gas Scenario ;
- (d) Best international Oil and Gas regulatory practices and adoption thereof in the Indian context.

Part II

Review of working and operations of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in respect of the following activities :-

- (i) Registration and Authorization of entities;
- (ii) Protection of interest of consumers by fostering fair trade and competition amongst the entities;
- (iii) Monitoring of uninterrupted and adequate supply of petroleum and petroleum products in all parts of the Country;
- (iv) Declaring, laying, building and operating or expanding the pipelines as common carrier or contract carrier;
- (v) Declaring, laying, building and operating or expanding the City gas distribution networks;
- (vi) Regulation of transportation rates for common carriers and contract carriers;

2996 GI/06-3

- (vii) Monitoring of prices and transportation rates in respect of notified petroleum, petroleum products and natural gas and corrective measures taken to prevent restrictive trade practice by the entities;
- (viii) Enforcing of retail service obligations for retail outlets and marketing service obligations for entities;
- (ix) Technical standards and specifications including safety standards in construction and operation of pipeline and infrastructure projects related to downstream petroleum and natural gas sector;
- (x) Gist of important dispute resolutions, directions/orders, appeals and court orders;
- (xi) Gist of powers and functions delegated by the Board; [Part II—Sec. 3(1)]
- (xii) New regulations, if any, framed during the year

(viii) Enforcing of retail service obligations for retail outlets and marketing service obligations for entities;

Part III

Statement of Annual Accounts of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board.

(ix) Technical standards and specifications including safety standards in construction and operation of pipeline and infrastructure projects related to downstream petroleum and natural gas sector;

(x) Gist of important dispute resolutions, directions/orders, appeals and court orders;

(xi) Gist of powers and functions delegated by the Board.

Part IV

Organisational matters of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board.

Part III

Statement of Annual Accounts of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board.

[F. No. P-23011/1/06-Mk. Part (III)]

AJAY TYAGI, Jr. Secy.

Part IV

Organisational matters of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 573(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का-19) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (झ) के साथ पठित धारा 43 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्रतिकर का संदाय) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) “कलक्टर” से उस राजस्व जिले का कलक्टर अभिप्रेत है जिसमें अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट संपत्ति स्थित है ;

(ग) “हितवद्ध व्यक्ति” के अंतर्गत किसी इकाई और खुदरा दुकानों की सुविधाओं और कारबार परिसरों के नियंत्रण और प्रबंध को ग्रहण करने या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अभिकरण को अधिनियम के अधीन उनका प्रबंध करने के लिए सौंपने के कारण दिए जाने वाले प्रतिकर में किसी हित का दावा करने वाले सभी व्यक्ति भी हैं ;

(घ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

3. प्रतिकर का अवधारण करने के सिद्धांत और तरीका - (1) जब भी किसी इकाई या खुदरा दुकानों की सुविधाओं और कारबार परिसरों का नियंत्रण और प्रबंध ग्रहण करना हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित रीति में उसका प्रबंध करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अभिकरण को सौंपा जाना हो तब संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण कलक्टर द्वारा इसमें इसके पश्चात् वर्णित रीति में और सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) जहां प्रतिकर की रकम किसी करार द्वारा नियत की जा सकती है वहां उसका ऐसे करार के अनुसार संदाय किया जाएगा ;

(ख) जहां ऐसा कोई करार नहीं हो सकता वहां कलक्टर हितवद्ध व्यक्तियों से उसके समक्ष प्रत्येक शीर्ष के अधीन पृथक् रूप से उसके द्वारा दावा किए गए प्रतिकर की रकम का कथन करते हुए आवेदन करने के लिए कहेगा और वह, ऐसा समझ प्राप्त करने के पश्चात् जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए और ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह ठीक समझे तथा विवाद के पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, संदेय प्रतिकर का अवधारण करेगा, और ऐसे प्रतिकर को उस इकाई या खुदरा दुकान में हितवद्ध व्यक्तियों के बीच विभाजित करेगा और ऐसा अवधारण कलक्टर द्वारा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संसूचित किया जाएगा जिनके हक में ऐसा अवधारण किया गया है ;

परंतु कलक्टर संदेय प्रतिकर का अवधारण करने के लिए किसी विख्यात व्यक्ति से परामर्श और उसकी सलाह भी ले सकेगा ;

(ग) कलक्टर प्रतिकर अवधारण की कार्यवाहियों को हितबद्ध व्यक्तियों से उसे आवेदन की प्राप्ति के चार मास के भीतर पूरा करेगा और प्रतिकर का अवधारण करेगा ;

परंतु केन्द्रीय सरकार, यदि ठीक समझे, प्रतिकर का अवधारण करने की अवधि को, या तो ऐसी अवधि समाप्त होने से पूर्व या उसके पश्चात् बढ़ा सकेगा ;

(घ) कलक्टर अपना लिखित आदेश पारित करेगा और उसमें अपने अवधारण के आधारों का उल्लेख करेगा तथा ऐसे आदेश पर हस्ताक्षर करेगा ;

(ङ) कलक्टर उसके पश्चात् विवाद के सभी पक्षकारों को आदेश की प्रति प्रदान करेगा और/या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा ।

(2) संदेय प्रतिकर की रकम का अवधारण करने में विचार में लिए जाने वाले विषय,-

(क) किसी इकाई या खुदरा दुकान की सुविधाओं और कारबार परिसरों का नियंत्रण और प्रबंध ग्रहण करने या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकरण को उसका प्रबंध करने के लिए सौंपने की अवधि की बाबत, उस किराए के बराबर की घनसंश्लि का आवर्ती संदाय जो इकाई या फुटकर दुकान के उपयोग और अधिगोण के लिए उस समय संदेय होता जब उस अवधि के लिए वह पट्टे पर ली गई होती ;

(ख) पूर्व वित्तीय वर्ष में इकाई या खुदरा दुकान द्वारा किए गए फायदे और हानि ; और

(ग) ऐसी घनसंश्लि या घनसंश्लियां, यदि कोई हो, जो निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर देने के लिए आवश्यक पाई जाएं, अर्थात् :-

(i) किसी इकाई और खुदरा दुकान की सुविधाओं और कारबार परिसरों का नियंत्रण और प्रबंध लेने या उसका प्रबंध केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकरण को सौंपने के कारण आर्थिक हानि ;

(ii) परिसरों को खाली करने के भदे व्यय ;

(iii) परिसरों को खाली करने के पश्चात् पुनः अधिगोण में लेने के भदे व्यय ।

4. कलक्टर की शक्तियां और अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया - कलक्टर ऐसे साक्षियों या अभिलेख कि समन कर सकेगा जिन्हें वह इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रबोजन के लिए आवश्यक समझे ।

5. प्रतिकर का संदाय - कलक्टर द्वारा ऐसे अवधारित प्रतिकर का संदाय ऐसी अवधि के लिए बकायों में तिमाही रूप से किया जाएगा जिसके लिए किसी इकाई या खुदरा दुकानों की सुविधाओं और कारबार परिसरों का नियंत्रण और प्रबंध ग्रहण किया गया है या उसका प्रबंध केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अधिकरण को सौंपा गया है । प्रतिकर का संदाय कलक्टर के विवेकानुसार या तो नकद किया जाएगा या बैंक द्वारा किया जाएगा ।

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी भाग (3)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006

G.S.R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 43 read with clause (i) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Payment of Compensation) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) "collector" shall mean the collector of the revenue district in which the property referred to in the notification issued under sub-section (1) of section 43 of the Act is situated;

(c) "person interested" includes all persons claiming an interest in compensation to be made on account of the taking over of control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlets or entrusting to any Agency of the Central or State Government to manage it under the Act;

(d) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Principles and method of determining compensation.

(1) Wherever control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlets are to be taken over or entrusted to any Agency of the Central or State Government to manage it in the manner directed by the Central Government, the amount of compensation payable shall be determined by the Collector in the manner and in accordance with the principles hereinafter set out, that is to say-

- (a) where the amount of compensation can be fixed by an agreement, it shall be paid in accordance with such agreement;
- (b) where no such agreement can be reached, the collector shall ask the persons interested to make application before him stating therein the amount of compensation claimed by him under each heads separately and he shall, after receiving such evidence as may be adduced before him and after making such enquiries as he may deem fit, and after giving to the parties to the dispute a reasonable opportunity of being heard, shall determine the compensation payable, and shall also apportion such compensation among the persons interested in the entity or retail outlet and such determination shall be communicated by the collector to the person or persons in whose favour the determination has been made;

Provided that the collector may also consult any person of eminence and take their advice for determining the compensation payable;

- (c) that collector shall complete the compensation determination proceedings and determine the compensation within four months of the receipt of application by him from the persons interested;

Provided that the Central Government may, if it thinks fit, extend the period for determining the compensation either before or after the expiry of such period;

- (d) the collector shall pass his order in writing setting forth therein the grounds for his determination and sign such order;
- (e) the collector shall thereafter deliver and / or send by registered post to all the parties to the dispute a copy of the order.
- (2) The matters to be considered in determining the amount of compensation payable, -
- a) a recurring payment in respect of the period of taking over control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlet or entrusting to any Agency of the Central or State Government to manage it, of a sum equal to the rent which would have been payable for the use and occupation of the entity or retail outlet, if it had been taken on Lease for that period;

- b) the profit and loss made by the entity or retail outlet in the previous financial year; and
- c) such sum or sums, if any, as may be found necessary to compensate the person interested for all or any of the following matters, namely,-
- i) pecuniary loss due to taking over control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlet or entrusting to any Agency of the Central or State Government to manage it;
 - ii) expenses on account of vacating the premises;
 - iii) expenses on account of re-occupying the premises upon release.

4. **Powers of Collector and Procedure to be followed.** - The Collector may summon such witness or record as he may consider necessary for the purpose of discharging his functions under these rules.

5. **Payment of compensation.** - Compensation as determined shall be paid by the collector quarterly in arrears for the period for which control and management of facilities and business premises of any entity and retail outlets have been taken over or have been entrusted to any Agency of the Central or State Government to manage it. The compensation shall be paid either in cash or by cheque at the discretion of the collector.

[F.No. P-23011/1/06-Mkt. Part (III)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2006

सा.का.नि. 574(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध जांच करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया या प्राधिकारी की संरचना) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अभिप्रेत है ;

(ख) “न्यायाधीश” से नियम 3 के अधीन कोई जांच करने के लिए नियुक्त उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है ;

(ग) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनका है।

3. जांच करने के लिए न्यायाधीश - (1) जब भी केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि अधिनियम की धारा 7 के अधीन अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसे वितीय या अन्य हित के अर्जन के किसी लांछन की जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या उसकी स्थिति के दुरुपयोग की जिससे उसके उस पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, सत्यता की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो वह, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी जांच करने के प्रयोजन के लिए किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को भी दी जाएगी।

4. जांच करने की प्रक्रिया - न्यायाधीश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकृत प्रक्रिया से आग्रह नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगा जैसे कि अध्यक्ष या संबद्ध सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना देना और उसे ऐसे आरोपों की बात सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देना तथा न्यायाधीश को अपनी स्वयं की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जांच का स्थान और समय नियत करना भी है, को विनियमित करने की शक्ति होगी।

5. न्यायाधीश की शक्तियां - न्यायाधीश ऐसे साक्षियों या अभिलेखों को समन कर सकेगा जिन्हें वह इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे।

[फा. सं. पी-23011/1/06-एमकेटी भाग (3)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2006.

G.S.R. 574(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with clause (b) of Sub-section (2) of Section 60 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Procedure for Appointment of a Person or Constitution of an Authority for Conducting Inquiry against Chairperson or a Member) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006;

(b) “Judge” means a Judge of the Supreme Court appointed for conducting an inquiry under Rule 3;

- (c) All other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. The Judge to conduct inquiry.- (1) Whenever the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry against Chairperson or a Member under Section 7 of the Act, into truth of any imputation of acquisition of such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Chairperson or member or abuse of his position as to render his continuance in office prejudicial to the interest of public, it may, after consulting the Chief Justice of India, by notification in the Official Gazette, appoint a Judge for the purpose of conducting such inquiry.

- (2) Notice of appointment of a judge under sub-rule (1) shall also be given to such Chairperson or Member.

4. Procedure for conducting inquiry. - The Judge shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice such as informing the Chairperson or Member concerned of the charges against him and giving him a reasonable opportunity of being heard in respect of such charges and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of place and time of his enquiry.

5. Powers of the Judge. - The Judge may summon such witness or records as he may consider necessary for the purpose of discharging his functions under these rules.

[F. No. P-23011/1/06-Mkt. Part (III)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.